न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :— 15/2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनू ।

—बनाम—

ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(iii)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ——————सरकार की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 27.05.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 18.04.2021 को गैर सायल ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी, जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी,, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का बदमाश आदमी है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ रही हैं जो अवैध शराब, मारपीट तथा चोरी आदि की है। उक्त व्यक्ति ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से पचेरी कलां के लोगों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 04 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से दो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है तथा दो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. अभियोग संख्या 111/2020 दिनांक 17.07.2020 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि0 थाना पचेरीकलां, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 81 दिनांक 30.07.2020 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.08.2020 में अभियुक्त को दोषसिद्ध [illegible] 3200 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

2. अभियोग संख्या 82/2018 दिनांक 30.07.2[illegible] धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि0 थाना पचेरीकलां, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 72 दिनांक [illegible].2018

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:18:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.07.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 1000 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

3. अभियोग संख्या 87/2014 दिनांक 31.07.2014 धारा 379, 411 भारतीय दण्ड सहिंता थाना बुहाना, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 98 दिनांक 17.10.2014 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।

4. अभियोग संख्या 107/2021 दिनांक 11.06.2021 धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड सहिंता थाना पचेरीकलां, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर जैर अनुसंधान है।

इस प्रकार उक्त ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (III) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 24.05.2022 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, के खिलाफ पुलिस थाना पचेरी झुंझुनू में 4 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा दो प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। तथा दो प्रकरण विचाराधीन है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (III) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने तथा दो प्रकरण विचाराधीन होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना पचेरी कलां, झुंझुनू में 4 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें से दो प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है तथा दो प्रकरण विचाराधीन है। गैर सायल ललित उर्फ लालड़िया राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 4 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के [illegible] के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान [illegible] आकर साबित करना आवश्यक नही है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के [illegible] 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 [illegible] कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आव[illegible] नही है। पत्रावली पर उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:18:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी जिला झुन्झुनू को झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैरसायल ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी जिला झुन्झुनू, को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना बगरू, जिला जयपुर निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर साय ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी उक्त 1 माह की निष्कासित अवधि मे जहॉ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना बगरू, जिला जयपुर को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना पचेरीकलां को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पचेरीकलां झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 27.05.2022 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनूं

निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अति. जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:18:55 IST
Reason: SelfAttested